न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : कंवरसिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:59:09 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्या 2015/00261 (139/2018) 223 आरटीएक्ट

नगरपालिका नोहर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. दयालगिरी चेलीा श्री कृष्णानन्दगिरी चेला श्री तरकगिरी निवासी नोहर तहसील नोहर हाल मण्डी किलियांवाली तहसील मलोट जिला मुक्तसर जरिये मुखत्यार आम अमीलाल पुत्र उदराम पुत्र श्री सुखराम जाति जाट सहारण निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरियक तसहीलदार नोहर।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.04.2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 257/2014 बअनवानी दयालगिरी बनाम अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका

श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन मोहन जोशी एवं श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांकः— 3. 3. 2022

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आरटीएक्ट में पेश किया जिसमें कथन कियाकि कस्बा नोहर के ख. नं. 106 की 8 बीघा 7 बिस्वा, ख0 नं0 107 की 5 बीघा 17 बिस्वा, ख0 नं0 108/224 की 6 बीघा कुल 20 बीघा 4 बिस्वा यानि 5.109 है0 भूमि वादी की खातेदारी भूमि थी। इस भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नगरपालिका नोहर में दर्ज होकर गैरमुमकिन आबादी में तब्दील हो गई एवं गैरमुमकिन आबादी के तौर [illegible] लिया गया। नगरपालिका ने उक्त बात का फायदा उठाकर [illegible] नं0 107/223 के दक्षिण हिस्सा 2 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि पर प्लाट [illegible] बेचान कर दी जबकि इसका मूल स्वामित्व वादी ही था। वादी ने बेचान [illegible] सहमति नहीं दी थी। जिससे वादी की 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि कम हो गई। वादी अपनी स्वयं की भूमि में काटे गये भूखण्ड की एवज में तबादले में 2 बिस्वा 15 बिस्वा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी की भूमि के चिपती चा0 नं0 109/247 की 0.3040 है0, ख0 नं0 109/248 की 0.8090 है0, चा0 नं0 126/2 की 0.126 है0 भूमि 2 बीघा 15 बिस्वा यानि 0.69575 है0 भूमि नगरपालिका क्षेत्र में है आबादी के समीच है जो वादी की भूमि से चिपती हुई भूमि है जिसे वह तबादला में प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 इस भूमि अवैध तौर से बेचान करने पर आमादा है तथा उसके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वादी ने वादपत्र में उक्त भूमि को वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादग्रस्त भूमि कभी भी रेस्पो0 सं0 1 के कब्जा काश्त में नहीं रही। यह भूमि सरकारी भूमि थी जो रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज थी जो मौके पर खाली थी और नगरपालिका नोहर को आवंटित हुई थी। नगरपालिका ने अपनी आवंटन शुदा भूमि 107/223 की 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे नगरपालिका की भूमि थी रेस्पो0 सं0 1 तबादला में भूमि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है रेस्पोडेण्ट द्वारा चाही गई तबादला में भूमि से रेस्पो0 का कोई वास्ता नहीं है। रेस्पो0 नगरपालिका की भूमि को हड़प करना चाहता है। यह मामला सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है टिनेन्सी एकट के तहत केवल खातेदार काश्तकार या सब टिनेन्स ही दावा ला सकते है किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा कोई रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं की गई कोई नक्शा पेश नहीं किया गया सीधे ही पटवारी को रिपोर्ट पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। दयालगिरी इस इलाके में कभी भी नही रहा न

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:59:09 IST
Reason: SelfAttested

कभी उसने वादग्रस्त भूमि को काश्त किया। एडिसनल डिस्ट्रीक जज सिरसा के निर्णय दिनांक 12.06.199[illegible] गिरी का कृष्णानंदगिरी का चेला होना भी सन्देहास्पद मा[illegible]। दयालगि[illegible] के मुखत्यारआम अमीलाल सिलवाला तहसील टिब्बी का रहने [illegible] जो दयाल[illegible]री की भूमि को प्राप्त करना चाहता है इसलिए बनावटी [illegible] निर्णय करवाया है। मुखत्यार आम को दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। भूमि की पैमाईश जीपीआरएस एवं सेटलमेंट से दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में करवायी जानी चाहिए थी, जो नहीं करवाई गई है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध नगरपालिका नोहर के पार्षदों व जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में अतिरिक्त पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यौरा हनुमानगढ को शिकायत प्रेषित की गई है एवं माननीय मुख्यमंत्री को भी शिकायत की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:59:09 IST
Reason: SelfAttested

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो० सं० 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने वादी के स्वामित्व शुदा खसरा नं. 107/223 की 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि के दक्षिणी तरफ कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से प्लाट काटकर बेचान कर दिये इसकारण रेस्पोडेण्ट ने क्षतिपूर्ति के लिए प्रश्नगत भूमि दिये जाने का निवेदन किया था। अपीलाण्ट ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा सीमाज्ञान के अभाव में रेस्पोडेण्ट की भूमि में प्लाट काट दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि "वादी के कथनों को प्रतिववादी सं0 1 ने इस शर्त पर स्वीकार किया है कि प्रश्गनत भूमि की पैमाईश करवाई जावे यदि वादी की भूमि नगरपालिका के द्वारा बेचान की कम पाई जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि जो वादी अपने कब्जे में बताता है उसे वादी के नाम दर्ज करवाकर वादी की भूमि पूरी करवा दी जावेगी"। भूमि की तीन बार पैमाईश करवाई गई व तीनों बार की पैमाईश से साबित हुआ कि खसरा नं. 107/223 की कुल 5 बीघा 7 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर प्लाट काटकर बेचान किया। अधीनस्थ न्यायलाय ने यद्यपि रेस्पो0 सं0 1 को 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि की हद तक खातेदार घोषित न कर यह प्रकरण अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो0 सं0 1 के हक व हिस्सा की भूमि में से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि बेचान कर दिये जाने की सूरत में विनिमय के दृष्टिकोण से राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अधीन निषेधाज्ञा की हद तक स्वीकार किया है जो कतई न्यायौचित है। यदि अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है तो रेस्पो0 को अपूर्णीय क्षति होगी। रेस्पो0 अपने वैद्य अधिका[illegible]से वंचित हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वि[illegible]मत है अ[illegible]पीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने क[illegible] में आरबीजे (4) 1997 पेज 609 व आरआरडी 1973 पे[illegible]पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:59:09 IST
Reason: SelfAttested

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. प्रकरण में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने खातेदारी अधिकारों एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया कि उसकी भूमि में पैमाईश किये बिना नगरपालिका ने प्लाट काट कर बेचान कर दिया है, एवं भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा ख0 नं0 109/247, 109/48, 126/2 में 2 बीघा 15 बिस्वा प्राप्त करने का निवेदन किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि दयालगिरी का कृष्णानंद गिरी का चेला होना संदेहास्पद है। इसलिए दयालगिरी इस भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट के उक्त तथ्य की पुष्टि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत एडिसनल डिस्ट्रिी जज सिरसा के निर्णय दिनांक 12.06.1997 के द्वारा हाती है, जिसमें दयालगिरी का कृष्ण गिरी का चेला होना भी संदेहास्पद माना है। रेस्पोडेण्ट द्वारा मांगी गई भूमि नगरपालिका के स्वामित्व की भूमि है जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ द्वारा नगरपालिका नोहर को आवंटित की गई है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि मोका रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है तथा एडिस्टनल डिस्ट्रीक जज सिरसा के निर्णय में दयालगिरी का कृष्णानंदगिरी का चेला होना ही संदेहास्पद माना गया है साथ ही टिनेन्सी एकट के तहत केवल खातेदार काश्तकार या सब टिनेन्स ही दावा ला सकते है रेस्पोडेण्ट सं0 1 इस भूमि का सह काश्तकार नहीं है और किसी अन्य व्यक्ति को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 सं0 1 प्रश्नगत भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधनीस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 06.04.2018 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नियमानुसार शुमार में नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.3.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

3/3/22

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:59:09 IST
Reason: SelfAttested